राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः–एफ.14(1)(1)श्रम/वि0/2016/38825 जयपुर, दिनांक: 28.12.2021

अधिसूचना

यतः राज्य में स्थित जापानी इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेन्ट जोन स्थित समस्त औद्योगिक ईकाईयों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.04.2015 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–14) की धारा– 2 एन (vi) के अन्तर्गत लोकोपयोगी सेवा घोषित करने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची को संशोधित करते हुए क्रम संख्या–37 पर सम्मिलित किया गया है।

और यतः राज्य सरकार द्वारा यह सन्तुष्टि कर ली गयी है कि राज्य में स्थित जापानी इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेन्ट जोन स्थित समस्त औद्योगिक ईकाईयों को लोकोपयोगी सेवा घोषित किया जाना अपेक्षित है।

अतः राज्य सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–2 एन (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य में स्थित **"जापानी इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेन्ट जोन स्थित समस्त औद्योगिक ईकाईयों"** को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 6 माह की अवधि के लिये लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.14(1)(1)श्रम/वि0/2016/38826–33 जयपुर, दिनांक: 28.12.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ

2– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उधोग विभाग, राजस्थान जयपुर ।

3– निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4– निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर।

5– जनरल मैनेजर, (वीपी) राजस्थान राज्य औद्योगिक विनिवेश निगम (रीको) राजस्थान, उद्योग भवन, जयपुर को पत्रांक आई0डी0/आई0सी0/पी–1126 पार्ट– पीटी XXIX दिनांक 01.11.2021 के क्रम में।

6– उपनिदेशक, (एसीपी) आई.टी. सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का कम संख्या–1 में वर्णित विभाग से प्रकाशन साधारण राजपत्र में करावे।

7–. उप श्रम आयुक्त, अलवर।

8– गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर